तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी। श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** यह निगरानी अंतर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार उप निवेशन नाचना नंबर–2 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 23(2) के तहत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को दिनांक 4–3–93 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 के तहत चक 18 एसकेडीए का मुरब्बा नंबर 161/19 में 24.5 बीघा भूमि कमांड का आवंटन किया गया। जबकि वह केवल 12.10 बीघा भूमि का आवंटन का पात्र था लेकिन आवंटन अधिकारी द्वारा उसे पात्रता से अधिक आवंटन किया है। वह सद्भावी कृषक नहीं होने से उसे किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर ने निर्णय दिनांक 23–12–05 से उक्त आवंटन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी पेशे से सद्भावी कृषक है तथा उसका कोई दुकान या वाहन चालक का पेशा नहीं है। उसने आवंटन प्रार्थना पत्र में पेशा कृषि अंकित किया है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को तोडमरोड कर उसे सद्भावी कृषक नहीं मानकर गलत तरीके से उसका आवंटन निरस्त किया है। प्रार्थी के काश्तकार होने का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये होने से प्रार्थी का कृषक होना साबित था। प्रार्थी द्वारा आवंटित आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	को खुदकाश्त किया जा रहा है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने भी प्रार्थी के उक्त तर्को को नकारते हुये उसका आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आवंटन आदेश बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी का पेश कृषक न होकर दुकानदारी करना है। प्रार्थी का आवंटन बिना लाटरी के गलत तरीके से किया गया था। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकन किया है कि प्रार्थी 12.10 बीघा कामाण्ड भूमि के आवंटन का पत्र था जबकि उसे 24.05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन कर दिया। तहसीलदार द्वारा 22(3) के प्रार्थना पत्र के साथ कोई साक्ष्य पेश नहीं किया तथा आवंटन पत्रावली में संलग्न फोटो प्रमाण पत्र में विभिन्न पटवारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के नाम भूमि नहीं होना अंकित किया है। उक्त फोटों प्रमाण पत्र में पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष मौजूद थी। समिति की आवंटन पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17–8–92 में उल्लेख है कि फोटो फार्म विवरण के अनुसार प्रार्थी ग्राम नाचना का सद्भावी निवासी है उसका पेश मजदूरी है। प्रार्थी के परिवार में कोई भूमि नहीं है। अतः प्रार्थी 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन का पात्र है तथा दिनांक 4–3–93 की आदेशिका में प्रार्थी को उपरोक्तानुसार 25 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन का पात्र मानकर विधिवत रूपसे लौटरी द्वारा आवंटन किया जाना अंकित है। उक्त फोटो प्रमाण पत्र में आवंटी की आय का प्राथमिक स्त्रोत मजदूरी होना तथा व्यवसाय खेतीहर मजदूरी अंकित है। तहसीलदार द्वारा 22(3) के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि आवंटी केवल 12.10 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन का पात्र था और उसे पात्रता से अधिक भूमि आवंटित कर दी गई है तथा उसका मुख्य पेशा कृषि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नहीं है बल्कि वह दुकानदारी एवं वाहन चलाने का कार्य करता है तथा समिति के द्वारा विधिक लौटरी निकाले बिना आवंटन किया गया है। न्यायालय अति0 आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है वर्तमान प्रार्थी द्वारा तहसीलदार द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि होती है और इस आधार पर उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के निर्णय दिनांक 4–3–93 को अपास्त कर दिया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी के पास बरवक्त आवंटन खाते में जमीन दर्ज थी। फोटो प्रमाण पत्र , पटवारियों की रिपोर्ट में उसके भूमिहीन होने की पुष्टि की है तथा उसे सद्भावी कृषक माना है। फोटो प्रमाण पत्र में वर्तमान प्रार्थी को खेतीहर मजदूर होना अंकित किया है। इस संदर्भ में आवंटन नियम 1975 का अवलोकन किया जिसमें खेतीहर मजदूर को भी भूमिहीन के रूप में परिभाषित किया गया है। आवंटन पत्रावाली के अवलोकन से विधिवत् रूप से लोटरी निकालकर आवंटन करना पाया जाता है। यदि आवंटी द्वारा कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य आज की तारीख में किये जा रहे है तो वह आवंटन निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेंर का निर्णय दिनांक 23–12–05 विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेंर का निर्णय दिनांक 23–12–05 निरस्त किया जाकर उपायुक्त एवं उपनिवेशन नाचना का आवंटन आदेश दिनांक 4–3–93 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राकेश कुमार जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी /कोलो/654/ 2006/ जैसलमेर
रामेश्वरप्रसाद बनाम सरकार